सत्यमेव जयते

षोडश

बिहार विधान सभा

दशम सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि 01 श्रावण, 1940 (श0) / 23 जुलाई, 2018 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या 65

(1) गृह विभाग	..	..	51
(2) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	..	..	05
(3) उद्योग विभाग	..	..	04
(4) मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	..	..	01
(5) गन्ना उद्योग विभाग	..	..	04
		कुल योग —	65

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1. श्रीमती सुनीता सिंह चौहान--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बेलसंड प्रखंड के ग्राम-दरियापुर एवं ग्राम-हसौर में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

व्यवस्था सुनिश्चित करना

*2. श्री जितेन्द्र कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला में स्थित पुलिस लाइन, बिहारशरीफ में आरक्षियों के लिये शौचालयों तथा पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण आरक्षियों को शौचालय आदि में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार पुलिस लाइन में आरक्षियों की सुविधा हेतु कबतक शौचालय एवं पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का विचार रखती है और नहीं, तो क्यों ?

न्याय दिलाना

*3. डॉ0 रामानुज प्रसाद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दिनांक 19 अगस्त, 2017 को रेलवे गुमटी ढाला-45 (छपरा कचहरी) के पास श्याम सुन्दर मुखिया, छपरा नाका नं0 3 में कार्यरत सिपाही किसी अज्ञात ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दिया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त घटना के 15-20 दिन बाद दिनांक 6 सितम्बर, 2017 को मृतक की पत्नी द्वारा अनुसूचित जाति परिवार के अरूण कुमार, संजय कुमार, रवि उर्फ साहेब, पिता-स्व0 धर्मनाथ प्रसाद एवं मुकेश कुमार, पिता-अरूण कुमार, ग्राम-मौना मोहन नगर, थाना-छपरा नगर, छपरा को अभियुक्त बना दिया गया है तथा छपरा जिला के रिविलगंज थाना कांड संख्या 264/17, दिनांक 22 नवम्बर, 2017, मांझी थाना कांड संख्या 283/17, दिनांक 5 दिसम्बर, 2017, 153/18, दिनांक 21 जून, 2018, 160/18, दिनांक 26 जून, 2018 में भी इन लोगों को ही अभियुक्त बना दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी उच्चस्तरीय जाँच कराकर पीड़ित महादलित परिवार को न्याय दिलाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*4. श्रीमती सुनीता सिंह चौहान--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बेलसंड प्रखंड के पंचायत पताही के भटौलिया में स्थित कब्रिस्तान है जिसका खाता संख्या 91, खेसरा संख्या 110, रकबा 1 एकड़ 32 डी0 है जिसकी अभीतक घेराबंदी नहीं की गई है, उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गन्ने की पेराई की व्यवस्था

*5. श्री राघव शरण पाण्डेय--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बगहा चीनी मिल, तिरूपति सुगर्स लिमिटेड ने सरकार को सूचित किया है कि वे मोलासेज के नहीं उठाये जाने के कारण नवम्बर, 2018 में प्रारंभ होने वाले गन्ना पेराई सीजन में मिल चलाने में असमर्थ हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त मिल के क्षेत्र के किसानों के गन्ने के पेराई की कौन-सी व्यवस्था करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*6. <u>श्री सीताराम यादव</u>--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत जयनगर प्रखंड के बरही गाँव स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं किये जाने के कारण मवेशियों का चारागाह बन गया है जिससे आये दिन विवाद उत्पन्न होता रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*7. <u>डॉ0 मेवालाल चौधरी</u>--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि तारापुर विधान सभा के अन्तर्गत तारापुर प्रखंड के लखनपुर पंचायत के शेख टोला में बाबा मुबारक शाह का कब्रिस्तान अवस्थित है जो घेराबंदी के अभाव में चारागाह बन गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आवासीय विद्यालय बनाना

*8. <u>श्री (मो0) नवाज आलम</u>--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार द्वारा हर जिले में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनाने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला अन्तर्गत आरा विधान सभा क्षेत्र के शहरी इलाके में बीबी जान का हाता है जो काफी बड़ा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आरा में बीबी जान के हाता में कबतक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनाने का विचार रखते है, नहीं, तो क्यों ?

श्मशानों की घेराबंदी

*9. <u>श्री राजेन्द्र कुमार</u>--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में श्मशान घाट के ज़मीन की घेराबंदी नहीं होने के कारण आये दिन विवाद उत्पन्न हो रहा है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के सभी श्मशानों की घेराबंदी करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*10. <u>श्री अजीत शर्मा</u>--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के भागलपुर के तिलकामांझी चौक से स्टेशन चौक तक विगत 5 वर्षों से जाम की समस्या बनी हुई है, तो क्या सरकार उक्त जाम से निजात हेतु कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*11. श्री शिवचन्द्र राम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के प्रखंड राजापाकर के पंचायत बेरई के ग्राम-कल्याणपुर एवं रामपुर रतनाकर पंचायत के ग्राम-फतहपुर फुलवरिया में कब्रिस्तान की घेराबंदी अभीतक नहीं हुआ है, जिसके कारण कब्रिस्तान अतिक्रमण से छोटा होता जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पंजीकृत करने का विचार

*12. डॉ0 सी0 एन0 गुप्ता--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि छपरा शहर में पीनेवाले सीलबंद पानी का उद्योग है, जहाँ 161 मिनरल वाटर का प्लांट संचालित है, जिसमें से मात्र 11 प्लांट ही उद्योग विभाग में पंजीकृत है, शेष मिनरल वाटर प्लांट उद्योग विभाग में पंजीकृत नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार बिना पंजीकृत मिनरल वाटर प्लांट को कबतक पंजीकृत करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*13. श्री अचमित ऋषिदेव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के रानीगंज थाना में सर्किल इंस्पेक्टर का कार्यालय नहीं होने के कारण सर्किल इंस्पेक्टर थाना के बरामदे पर अपने कार्यालय का कार्य संचालित करते हैं, यदि हाँ, तो सरकार सर्किल इंस्पेक्टर के कार्यालय का भवन कबतक बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शौचालय का पुनर्निर्माण

*14. श्री अचमित ऋषिदेव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज थाना परिसर में स्थित शौचालय विगत 5 वर्षों से जर्जर है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त शौचालय का पुनर्निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*15. श्री फराज फातमी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के केवटी प्रखण्ड अन्तर्गत रैयाम ग्राम रजौड़ा कब्रिस्तान जिसका खाता संख्या-347, खेसरा 866, रकबा 45 डी0 एवं कमतौल ग्राम कोठिया कब्रिस्तान जिसका खाता 341, खेसरा 1682, 4583, रकबा 39 डी0 बगधा अवस्थित है जिसका घेराबंदी नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*16. श्री लालबाबू राम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत प्रखंड सकरा पंचायत दुबहा के ग्राम-बहरामपुर में कब्रिस्तान का अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए घेराबंदी कराने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का जीर्णोद्धार

*17. श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला सीवान के थाना गोरेयाकोठी को भवन जर्जर अवस्था में पहुँच गयी है जो कभी भी गिर सकती है, यदि हाँ, तो सरकार गोरेयाकोठी थाना भवन का जीर्णोद्धार कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आतंक से मुक्ति

*18. श्री अनिल सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नीलगायों को मारे जाने की सरकारी कार्रवाई विगत तीन वर्षों से बंद रहने के कारण पूरे बिहार में नीलगायें फैल गयी हैं जिनके कारण किसानों की सारी फसल नष्ट हो जा रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नीलगायें सिर्फ फसलें ही नहीं बर्बाद कर रही बल्कि किसानों पर जानलेवा हमले भी कर रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार नीलगायों को मारने की कार्रवाई पुनः प्रारंभ कर किसानों को नीलगायों के आतंक से मुक्ति दिलाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*19. श्री सत्यदेव सिंह (215)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिला अन्तर्गत कुर्था विधान सभा क्षेत्र के कुर्था बाजार स्थित कब्रिस्तान जिसका खाता नं0-174, प्लॉट नं0-603, रकबा 02 एकड़ 67 डी0 है, की घेराबंदी नहीं होने के कारण अतिक्रमण हो रहा है, जिसके कारण दो समुदायों के बीच हमेशा तनाव बना रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान को अतिक्रमण मुक्त कराकर घेराबंदी कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अनुसंधान केन्द्र खोलना

*20. श्री मिथिलेश तिवारी--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिले में गन्ना की खेती काफी संख्या में किसान करते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्तमान समय में गन्ना की उन्नत कृषि हेतु गोपालगंज में कोई गन्ना अनुसंधान केन्द्र नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गोपालगंज जिले में गन्ना अनुसंधान केन्द्र कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*21. श्री अमित कुमार (23)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बैरगनियाँ प्रखंड के परसौनी मेन रोड से पश्चिम स्थित कब्रिस्तान एवं जोरियाही कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण असामाजिक तत्वों द्वारा जुआ, शराब का अड्डा बना दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*22. श्री महेश्वर प्रसाद यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत बन्दरा प्रखंड के बन्दरा पंचायत में मलंगा कब्रिस्तान की जमीन का अवैध अतिक्रमण स्थानीय ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है, साथ ही अवैध अतिक्रमण के कारण दो सम्प्रदायों के बीच आपसी तनाव बना रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*23. श्रीमती गुलजार देवी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के फुलपरास थाना क्षेत्र में अपराधी सरगना सुनील यादव एवं इसके गिरोह का आतंक इन दिनों फैला हुआ है, जिससे आम नागरिक दहशत में हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस गिरोह के गोलीबारी के वजह से फुलपरास थाना कांड संख्या 100/18, 114/18, 115/18, 131/18, 132/18, 133/18, 134/18 एक माह के अंदर दर्ज हुये हैं ;

(3) क्या यह बात सही है कि दिनांक 28 जून, 2018 की घटना में पुलिस अधीक्षक, मधुबनी को स्वयं घटना स्थल पर उतरना पड़ा था, परन्तु थानेदार फुलपरास उपस्थित नहीं थे ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अपराधी गिरोह के साथ-साथ दोषी थानेदार के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई कबतक करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*24. श्री प्रभुनाथ प्रसाद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के चरपोखरी प्रखंड अन्तर्गत ग्राम + पंचायत-पसौर एवं सियाडीह पंचायत के ग्राम-बगुसरा में कब्रिस्तान अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों कब्रिस्तानों की घेराबन्दी नहीं होने के फलस्वरूप कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण किया जा रहा है जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के बीच क्षोभ व्याप्त है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*25. डॉ० (मो०) जावेद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के किशनगंज नगर परिषद् के वार्ड नं० 20 के हलीम चौक कब्रिस्तान एवं कोल्था पं० के गुवाबाड़ी कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*26. श्री सुनील कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत डुमरा थाना प्रांगण में थानाध्यक्ष/पुलिसकर्मियों के लिये आवासीय भवन नहीं रहने के कारण प्रशासनिक एवं विधि-व्यवस्था के कार्यों का निष्पादन करने में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित थाना प्रांगण में थानाध्यक्ष/पुलिसकर्मियों के लिये आवासीय भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास की व्यवस्था

*27. श्रीमती सावित्री देवी--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत सोनो प्रखण्ड मुख्यालय में अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं की आबादी पाँच हजार से अधिक है, लेकिन उक्त छात्र-छात्राओं के लिये अल्पसंख्यक छात्रावास नहीं है, जिससे छात्र-छात्राओं को भारी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त छात्र-छात्राओं हेतु उक्त प्रखण्ड मुख्यालय में छात्रावास की व्यवस्था कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस पोस्ट का निर्माण

*28. श्री विजय कुमार खेमका--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के पूर्णियाँ इस्ट प्रखण्ड के मुफ्फसिल थाना का क्षेत्र बहुत बड़ा रहने के कारण विधि-व्यवस्था पर नियंत्रण रखने में कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला एवं बंगाल को जोड़ने वाली एस०एच० सड़क के दोनों ओर आधा दर्जन पंचायत की आबादी है, इस इलाके में किसी तरह की अप्रिय घटना घटित होने पर पुलिस प्रशासन को लम्बी दूरी की वजह से समय से पहुँचने में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार आमजन की सुरक्षा के लिये सपनी अंटेली हाट या महेन्द्रपुर चौक पर एक नया पुलिस पोस्ट निर्माण करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक ?

छात्रावास का निर्माण

*29. डॉ० राजेश कुमार--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत कल्याणपुर प्रखंड में अल्पसंख्यक छात्रों के लिये छात्रावास नहीं है, उक्त प्रखंड में अल्पसंख्यक छात्रावास नहीं रहने के कारण अल्पसंख्यक छात्रों को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड में अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*30. श्री आबिदुर रहमान--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के अररिया प्रखण्ड के बांसबाड़ी पंचायत अंतर्गत कुल्हैया टोला पूरब भाग वाली कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं रहने के कारण कब्रिस्तान असुरक्षित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*31. श्री ललन पासवान--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत चेनारी प्रखंड के केनार कला गाँव का कब्रिस्तान की घेराबंदी 2016 में गिर गया तथा शिव सागर प्रखंड के सिकुंही में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं रहने के कारण कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, जिससे दो समुदायों के बीच हमेशा तनाव होते रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों कब्रिस्तानों की कबतक घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण

*32. डॉ० राजेश कुमार--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत केसरिया प्रखंड में अल्पसंख्यक छात्रों के लिये छात्रावास नहीं है, जिसके कारण उक्त प्रखंड के अल्पसंख्यक छात्रों के पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड में अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*33. श्री (मो०) नवाज आलम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला अन्तर्गत आरा विधान सभा क्षेत्र में कब्रिस्तान की घेराबंदी हेतु 2011 में जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला प्राथमिकता सूची बनी थी जिसका घेराबंदी कार्य अभीतक पूर्ण नहीं किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका 2014 की कंडिका 6 (34) में भी कब्रिस्तान की घेराबंदी योजना को शामिल किया गया है, परन्तु जिला योजना पदाधिकारी प्राथमिकता की सूची से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी का चयन करते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आरा के वैसे कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराना चाहती है, जो कब्रिस्तान प्राथमिकता सूची में दर्ज नहीं है ?

भवन का निर्माण

*34. श्री नरेन्द्र नारायण यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला अन्तर्गत थाना-उदाकिशुनगंज के अधीन एक ओ०पी० मंजौरा कार्यरत है, मंजौरा ओ०पी० को अपना भवन नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार मंजौरा ओ०पी० का अपना भवन निर्माण का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

छोवा टंकी खाली करना

*35. मो० नेमातुल्लाह--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत विशनु सुगर मिल का छोवा (सीरा) चार टैंक भरा होने के बावजूद विभाग से खाली करने की अनुमति नहीं दी गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित मिल में छोवा टैंक को कबतक खाली कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*36. डॉ० शकील अहमद खाँ--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के समाहरणालय के निकट दिनांक 31 मई, 2018 को विस्थापित परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने हेतु विस्थापित पुनर्वास संघर्ष समिति, कटिहार द्वारा शान्तिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया जा रहा था, धरना के क्रम में ही पुलिस द्वारा विस्थापितों पर लाठी चार्ज किया गया जिसमें दर्जनों व्यक्ति पुलिस की लाठी से घायल हुये, उक्त घटना की जाँच कराकर दोषी पुलिसकर्मियों तथा प्रशासनिक पदाधिकारियों पर सरकार कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नया थाना खोलना

*37. श्री विद्या सागर केशरी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज थाना का क्षेत्र काफी बड़ा होने के कारण विधि-व्यवस्था पर नियंत्रण रखने में कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि फारबिसगंज विधान सभा के परवाहा, हरिपुर, सैफगंज एवं बड़राहा पंचायत से थाना की दूरी 20-25 किलो मीटर है जिससे इन इलाकों में हमेशा अप्रिय घटना होती रहती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार परवाहा या हरिपुर पंचायत के बीच एक नया थाना कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सुविधा उपलब्ध कराना

*38. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिले के चकिया एवं मोतिहारी चीनी मिल वर्ष 1994 से बन्द हो जाने से इस क्षेत्र के किसानों को गन्ना बेचने एवं भुगतान प्राप्त करने में भारी कठिनाई हो रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त बंद पड़े चीनी मिल के क्षेत्र में गुड़ प्रोसेसिंग Plant नहीं रहने के कारण किसानों को अपने गन्ना से गुड़ बनाने एवं उसे बेचने में सुविधा नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र के किसानों के लिये गुड़ प्रोसेसिंग Plant लगाने में विशेष सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*39. श्री फराज फातमी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड अन्तर्गत टेकतार ग्राम में कब्रिस्तान है, जिसका खाता संख्या 782, खेसरा 2052, रकबा 19 डी० एवं सिमरी ग्राम के सढ़वारा, रसलपुर का कब्रिस्तान जिसका खाता संख्या 118, खेसरा 329 एवं 371, रकबा 67 डी० है, की घेराबंदी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि घटाने का औचित्य

*40. श्री मुनेश्वर चौधरी--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2017-18 में उद्योग विभाग के लिये आठ सौ पचास करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान था;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2018-19 के लिये बजट की राशि घटाकर छ: सौ बाईस करोड़ रुपये कर दिया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो बजट की राशि घटाने का क्या औचित्य है ?

जेल का निर्माण

*41. श्री विद्या सागर केशरी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के फारबिसगंज अनुमंडल में जेल बनाने की घोषणा सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 में की गयी थी, जेल निर्माण हेतु अगस्त, 2015 में जमीन उपलब्ध कराने के बावजूद आजतक जेल का निर्माण कार्य नहीं शुरू किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जेल का निर्माण कार्य कबतक शुरू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*42. डॉ० अब्दुल गफूर--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत महिषी प्रखंड में शिव मंदिर नकुचेश्वर स्थान अति प्राचीन मंदिर है जो 5 वर्ष पूर्व से मंदिर धार्मिक न्यास में पंजीकृत है और जहाँ दूर-दूर से लोग दर्शन हेतु आते-जाते रहते हैं, लेकिन मंदिर की चहारदीवारी नहीं रहने के कारण अवारा पशुओं का आना-जाना लगा रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त मंदिर की चहारदीवारी का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

श्मशान की घेराबंदी

*43. श्रीमती रिंकी रानी पाण्डेय--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत प्रखंड भभुआ के ग्राम-कुड़ासन में श्मशान की घेराबंदी नहीं है, जिसके कारण श्मशान के जमीन का अतिक्रमण हो रहा है एवं शवदाह करने में ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त श्मशान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नेम प्लेट उर्दू में लगाना

*44. श्री शिवचन्द्र राम--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 3 सितम्बर, 2017 को प्रकाशित शीर्षक ''निर्देश पर भी अफसरों की नाम पट्टिका उर्दू में नहीं बनी'' के आलोक में क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 1981 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा सचिवालय के विभिन्न विभागों के मुख्यालय एवं जिला स्थित विभिन्न विभागों के कार्यालयों के प्रमुख पदाधिकारियों का नेम प्लेट उर्दू में लगाने का निर्देश दिया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सचिवालय के विभिन्न विभागों के मुख्यालय एवं जिला स्थित विभिन्न विभागों के प्रमुख पदाधिकारियों का नेम प्लेट उर्दू में भी लगाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*45. श्री ललित कुमार यादव--स्थानीय हिन्दी समाचार-पत्र में दिनांक 28 मई, 2018 को प्रकाशित शीर्षक ''राजधानी में बीते 25 दिन में 12 हत्याएँ'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी जिला हत्या तथा बलात्कार की घटनाओं से प्रतिदिन सामना करता है तथा राजधानी में भी 25 दिनों में 12 हत्याएँ हुयी हैं, यदि हाँ, तो सरकार पटना सहित राज्य में हो रहे हत्या तथा बलात्कार की रोक-थाम हेतु कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस शिविर की स्थापना

*46. श्री तारकिशोर प्रसाद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत कटिहार नगर थाना क्षेत्र स्थित दर्शन साह महाविद्यालय परिसर में शरारती एवं असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, साथ ही निकटवर्ती मुहल्ले की भी यही स्थिति है, यदि हाँ, तो सरकार दर्शन साह महाविद्यालय परिसर में पुलिस शिविर की स्थापना कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उत्क्रमित करना

*47. श्री सुबोध राय--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर में जोगसर ओ०पी० का थाना में उत्क्रमण हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक, भागलपुर के पत्रांक 743/सामान्य शाखा, दिनांक 22 अगस्त, 2017 द्वारा पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (निरीक्षण) बिहार, पटना को उत्क्रमण संबंधी सभी आवश्यक रिपोर्ट उपलब्ध करा दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक जोगसर ओ०पी० को थाना में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस मुख्यालय खोलना

*48. श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नबीनगर प्रखंड उग्रवादियों का शरणस्थली है तथा उग्रवादियों द्वारा 4 वर्ष पूर्व लैण्ड माइन्स बिछाकर छः पुलिस कर्मियों को उड़ाकर हत्या कर दी गयी थी;

(2) क्या यह बात सही है कि नबीनगर क्षेत्र औरंगाबाद पुलिस मुख्यालय एवं अनुमंडल पुलिस मुख्यालय से क्रमशः 70-80 कि०मी० है और हमला के वक्त पुलिस को कार्रवाई में विलम्ब होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नबीनगर थाना, टंडवा थाना, एन०टी०पी० खैरा थाना, एन०टी०पी०सी० नरारी थाना, बडेम ओ०पी० के लिये नबीनगर में अनुमंडल पुलिस मुख्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*49. मो० आफाक आलम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा प्रखंड के कदबा गाँव के पास स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शेड का निर्माण

*50. श्री सुनील कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला स्थित पुलिस लाईन, सीतामढ़ी (सिमरा) में गाड़ी रखने हेतु शेड नहीं रहने के कारण सरकारी गाड़ियों के रख-रखाव में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित पुलिस लाईन में गाड़ी रखने हेतु शेड का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*51. श्री विजय कुमार खेमका--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय (नागरिक विमानन) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ एयरबेस, केन्द्र सरकार की उड़ान योजना के तहत् कम लागत में हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार एवं केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के निर्णय के आधार पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय वायु सेना प्राधिकरण 27 नवम्बर, 2016 चुनापुर एयरबेस के संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त केन्द्र सरकार की तरफ से निर्माण कार्य की राशि बजट आवंटन (25 करोड़ की राशि) हो चुका है;

(3) क्या यह बात सही है कि कम-से-कम 50 एकड़ भूमि की स्वीकृति मिलने के पश्चात् भी सरकार तथा जिला प्रशासन द्वारा भूमि अधिग्रहण का कार्य अबतक शुरू नहीं किया गया है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पूर्णियाँ चुनापुर हवाई अड्डा में सिविल एन्क्लेव शीघ्र शुरू करने हेतु भूमि अधिग्रहण करने तथा भूमि अधिग्रहण कार्य में कोताही बरतने वाले अधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक ?

थाना परिसर की घेराबंदी

*52. डॉ० शकील अहमद खाँ--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत डंडखोरा प्रखण्ड स्थित डंडखोरा थाना के परिसर की घेराबंदी आज तक नहीं की गयी है, जिसके कारण थाना प्रशासन को प्रशासनिक कार्यों में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त थाना परिसर की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सम्मिलित करना

*53. श्री नरेन्द्र नारायण यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जिला मधेपुरा अन्तर्गत थाना-उदाकिशुनगंज के अधीन ग्राम पंचायत खाड़ा के ग्राम-सुखाशनी, ग्राम-सिंहवाड़ा को जिला सहरसा अन्तर्गत ओ०पी० का काशनगर 10 वर्ष पूर्व सम्मिलित कर दिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला के ओ०पी० काशनगर में दोनों गाँव को सम्मिलित करने एवं सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण ठीक तरीके से पुलिस गश्त नहीं हो पा रही है, जिस कारण आपराधिक घटनायें बढ़ गई हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त दोनों ग्रामों को ओ०पी० बुधमा थाना उदाकिशुनगंज, जिला-मधेपुरा में सम्मिलित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सम्मिलित करना

*54. श्री प्रभुनाथ प्रसाद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के अगियाँव विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत रतनाढ़ पंचायत के ग्राम बेरथ को तरारी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत सहार थाना में 10 वर्ष पूर्व सम्मिलित किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि सहार प्रखंड अन्तर्गत चौरी थाना से रतनाढ़ पंचायत के बेरथ ग्राम की दूरी लगभग 15 कि० मी० है, जबकि अगियाँव प्रखंड अन्तर्गत नारायणपुर थाना की दूरी मात्र 03 कि० मी० है;

(3) क्या यह बात सही है कि ग्राम बेरथ में अप्रिय घटना घटित हो जाने पर पुलिस को दूरी के कारण आने-जाने में काफी समय लग जाता है जिससे असामाजिक तत्वों को लाभ मिल जाता है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जनहित को ध्यान में रखते हुये ग्राम-बेरथ को चौरी थाना से हटाकर नारायणपुर थाना में सम्मिलित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

थाना का दर्जा देना

*55. श्री सैयद अबु दौजाना--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सुरसंड प्रखंड अन्तर्गत भिट्ठा मोड़ ओ०पी० को थाना के रूप में परिवर्तित नहीं होने से अपराधियों पर नियंत्रण में कठिनाई हो रही है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मोड़ नेपाल देश के खुला बार्डर रहने के कारण आये दिन अपराधियों द्वारा बड़े पैमाने पर शराब, गांजा, अफीम इत्यादि की सप्लाई धड़ल्ले से होने के कारण पुलिस को प्रशासनिक कार्यों में कठिनाई होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भिट्ठा मोड़ ओ०पी० को पूर्ण थाना का दर्जा दिलाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*56. डॉ० रामानुज प्रसाद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के सोनपुर प्रखंडान्तर्गत पंचायत खरीका के खरीका ग्राम एवं पंचायत कसमर के पहलेजा घाट के समीप स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण उक्त कब्रिस्तानों की जमीन अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमित किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*57. श्री विनोद प्रसाद यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत डोभी प्रखण्ड के नदरपुर पंचायत के लहुअरी में एवं शेरघाटी प्रखण्ड के ढाबचिरैया पंचायत के घाघर में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, जिसके कारण कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उद्योग चालू करना

*58. श्री समीर कुमार महासेठ--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला सीमावर्ती जिला है और उद्योगविहीन है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मधुबनी खादी/मखाना/पान खांडसारी सहित अन्य उद्योग के बन्द होने के कारण युवा शक्ति पलायन कर रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मधुबनी जिला में उक्त उद्योगों को चालू कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नन-वर्किंग इकाइयों को चालू कराना

*59. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि 2017 तक बिहार राज्य में एस०आई०पी०भी० (राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद्) में Approved इकाइयों की संख्या 1,047 है जिसमें मात्र 192 इकाइयाँ ही वर्किंग में हैं तथा नन-वर्किंग की संख्या 855 है, यदि हाँ, तो नन-वर्किंग 855 इकाइयों को वर्किंग में लाने हेतु सरकार की कौन-सी कार्य योजना है ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*60. श्रीमती अमिता भूषण--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय प्रखंड के कुसमहौत पंचायत स्थित 3 बीघा 8 कट्ठा में फैले कब्रिस्तान की घेराबन्दी अभीतक नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*61. श्रीमती अमिता भूषण--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिले के बरौनी प्रखंड में नींगा पंचायत के बलवाड़ा ग्राम स्थित कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं हुई है, जिसके कारण उक्त कब्रिस्तान का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*62. श्रीमती रिंकी रानी पाण्डेय--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत प्रखण्ड भभुआ के दतियांव एवं बेतरी गाँव में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है, जिसके कारण उक्त दोनों गाँवों के कब्रिस्तान पर अतिक्रमण हो रहा है एवं दो समुदाय के बीच तनाव बना रहता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*63. श्री आबिदुर रहमान-क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के अररिया प्रखण्ड के रामपुर, मोहनपुर पंचायत अंतर्गत मोहनपुर गाँव वाली कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं रहने के कारण कब्रिस्तान असुरक्षित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अधिसूचना निर्गत करना

*64. डॉ० शमीम अहमद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सदन में घोषणा की गई थी कि चयन सूची से हटकर माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से कब्रिस्तान/मंदिर की घेराबंदी करा सकते हैं, जिसकी जल्दी ही विभागीय स्तर पर अधिसूचना निर्गत कर दी जायेगी, परन्तु अभीतक उक्त दिशा में कार्रवाई नहीं होने से कब्रिस्तान/मंदिर की घेराबंदी हेतु माननीय सदस्यों को अनुशंसा करने में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो क्या उक्त निर्णय के आलोक में विभाग द्वारा अधिसूचना निर्गत कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*65. श्री (मो०) आफाक आलम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा प्रखंड के संझौली पंचायत के कुसहा कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है जिसके कारण कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना:
दिनांक 23 जुलाई, 2018(ई०)।

राजीव कुमार,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि०स०मु०(एल०ए०), 18-डी०टी०पी०-550